

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१३

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पवन कुमार पवार

2. वर्तमान धारित पद

सहायक लेखाधिकारी (उद्देव)

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. जिला - रायसेन, तह-गोहराज, ग्राम - मेरुआ		1.62 एकड़ अर्थात् 15 बागव 20 हाथ के लगभग		स्वयं	वर्ष 2002 में कृषि विभाग द्वारा खरीद कर 17/11/80=20 (भूमि का मूल्य 157500/-) अर्थात् 13980/- अर्थात् (Not in Law) त इधर लेकर मुगलान बिना गजाला	निरंक	
2. जिला - कोणार्ड, तह-हुनूर, ग्राम-बाण्डियाकला	गृह 267 शक्ति नगर फेल-2 बाण्डियाकला कोणार्ड	—	लगभग 45 बागव भकवा अधिक	स्वयं	शेरित नगर गृह निर्माण समिति से श्रावणी भूखण्ड का कृषि तमय-तमय पर खण्ड की खनन तथा क्षीपीकृत ले होत्र रेकर बिना गजाला। वर्ष 2004 में भूखण्ड की खननी करवाई गई। स्टेट बैंक शाखा इधर से गृह-गृह लेकर मकान का निर्माण कराया गया।	निरंक	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

1.8.11.13

नाम पवन कुमार पवार

पद सहायक लेखाधिकारी (उद्देव)